क्रम संख्या—264

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, वृहस्पतिवार, 27 अप्रैल, 1978

वैशाख 7, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1178/सत्रह-वि0-1-23-78

लखनऊ, 27 अप्रैल, 1978

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 पर दिनांक 26 अप्रैल, 1978 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1978 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1978

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1978]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

(2) इसे 23 फरवरी, 1978 से प्रवृत्त समझा जायगा।

अधिनियम संख्या 10, सन् 1955 की धारा 2 का संशोधन।

2—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1975, जिसे आगे उत्तर प्रदेश संशोधन कहा गया है, द्वारा बढ़ाया गया खण्ड (कक), दिनांक 2 सितम्बर, 1976 से, जो कि आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1976 के, जिसे आगे केन्द्रीय संशोधन कहा गया है, प्रारम्भ का दिनांक है, निकाल दिया जायगा।

धारा 3 का संशोधन

3—(1) मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (2) में, आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1975 के साथ पठित उत्तर प्रदेश संशोधन द्वारा यथा प्रतिस्थापित खण्ड (च) निकाल दिया जायगा और केन्द्रीय संशोधन के प्रारम्भ के दिनांक से निकाल दिया गया समझा जायगा।

(2) उक्त उपधारा में, केन्द्रीय संशोधन द्वारा यथा प्रतिस्थापित खण्ड (च) में, स्पष्टीकरण—1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—1—क—चावल के सम्बन्ध में इस खण्ड के अधीन दिये गये आदेश में, चावल मिल की कूटने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, अनुज्ञप्त मिल वालों द्वारा विक्रय किया जाने वाला परिमाण नियत किया जा सकेगा और श्रेणी के आधार पर भी ऐसा परिमाण नियत किया जा सकेगा या नियत किये जाने का उपबन्ध किया जा सकेगा।"

(3) उक्त धारा 3 में, उत्तर प्रदेश संशोधन द्वारा यथा संशोधित उपधारा (3-ख) निकाल दी जायगी और केन्द्रीय संशोधन के प्रारम्भ के दिनांक से निकाल दी गयी समझी जायगी।

धारा 6-क और 6-ग का प्रतिस्थापन

4—मूल अधिनियम में, उत्तर प्रदेश संशोधन द्वारा यथा संशोधित या प्रतिस्थापित धारा 6-क और 6-ग के स्थान पर क्रमशः केन्द्रीय संशोधन द्वारा यथा संशोधित या प्रतिस्थापित धारा 6-क और 6-ग रख दी जायगी और केन्द्रीय संशोधन के प्रारम्भ के दिनांक से रखी गयी समझी जायगी।

निरसन और अपवाद

5—(1) आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1978 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उ० प्र० अध्या० संख्या सन्

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।

No. 1178 (2)/XVII—V—1—23-1978

Dated Lucknow, April 27, 1978

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Awahsyak Vastuyen (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 1978), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President, on April 26, 1978 :

THE ESSENTIAL COMMODITIES (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1978

[U.P. ACT NO. 16 OF 1978]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Essential Commodities Act, 1955 in its application to Uttar Pradesh

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

(1) This Act may be called the Essential Commodities (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1978.

(2) It shall be deemed to have come into force on February 23, 1978.

2. In section 2 of the Essential Commodities Act, 1955 (hereinafter referred to as the principal Act), clause (*aa*) as *inserted* by the Essential Commodities (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1975, hereinafter referred to as the Uttar Pradesh Amendment, shall stand *omitted* with effect from September 2, 1976, the date of the commencement of the Essential Commodities (Amendment) Act, 1976, hereinafter referred to as the Central Amendment. Amendment of section 2 of Act no. 10 of 1955.

3. (1) In section 3 of the principal Act, in sub-section (2), clause (*f*), as *substituted* by the Uttar Pradesh Amendment read with the Essential Commodities (Uttar Pradesh Second Amendment) Act, 1975 shall be *omitted* and deemed to have been *omitted* with effect from the date of the commencement of the Central Amendment. Amendment of section 3.

(2) In the said sub-section, in clause (*f*) as *substituted* by the Central Amendment, *after* Explanation 1, the following Explanation shall be *inserted*, namely—

> "*Explanation 1-A*—An order made under this clause in relation to rice may, having regard to the milling capacity of a rice mill, fix the quantity to be sold by the licensed miller and may also fix or provide for the fixation of such quantity on a graded basis."

(3) In the said section 3, sub-section (3-B), as amended by the Uttar Pradesh Amendment, shall be *omitted* and deemed to have been *omitted* with effect from the date of commencement of the Central Amendment.

4. In the principal Act, *for* sections 6-A and 6-C as amended or *substituted* by the Uttar Pradesh Amendment, sections 6-A and 6-C respectively, as amended or *substituted* by the Central Amendment, shall be and be deemed with effect from the date of commencement of the Central Amendment to have been *substituted*. Substitution of sections 6-A and 6-C.

5. (1) The Essential Commodities (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 1978, is hereby repealed. Repeal and savings.

(U. P. Ordinance no. 7 of 1978.)

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act, were in force at all material times.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 38 सा० विधा०—27-4-78—1978—(369)—650 (मेके०)।